भारतीय स्टेट बँक
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कॉर्पोरेट केन्द्र, 14वा माळा, स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
शेयर आणि बॉन्ड विभाग, कारपोरेट केन्द्र, 14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021.
Shares & Bonds Department, Corporate Center, 14th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai-400 021.

Tel. 91-22-2274 0841 - 48 (Eight Lines) I **Fax :** 91-22-2285 5348 I E-mail : gm.snb@sbi.co.in

Date : February 22, 2018

Ref. No.
CC/S&B/SA/2602

The Executive Director
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

The Executive Director
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra – East,
Mumbai – 400051.

Dear Sir/Madam,

Sub: SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015: General Meeting of shareholders of the Bank
Intimation and Submission of copy of Notice

Further to our letter no CC/S&B/SA/2519 dated 14.02.2018 and CC/S&B/SA/2573 dated 16.02.2018, we inform that we have arranged for the publication of the notice in English Hindi and Marathi newspapers and copy of the same is enclosed for your information and record.

2. It is also informed that the price for Preferential Issue was fixed at Rs 300.82 (Rupees three hundred and paise eighty two only) per share of face value of Rupee.1/- each including premium of Rs. 299.82 (Rupees two hundred ninety nine and paise eighty two only) and has been arrived at in accordance with the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009. The Relevant Date for this was consider as 12th February 2018.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

भारतीय स्टेट बैंक / S.B.I. ★ शेयर एवं बाण्ड विभाग Shares & Bonds Dept. ★ कारपोरेट केंद्र / CORPORATE CENTRE

Sanjay M. Abhyankar
Vice President – Compliance
(Company Secretary)

Encl: As above

SBI

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai-400021

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Thursday, the 15th March, 2018 at 11 a.m. in the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai–400021 (Maharashtra) to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act 1955 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Stock Exchanges, Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Central Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended from time to time (SEBI ICDR Regulations) and the Guidelines framed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Central Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955, and/or any other Committee of Directors duly authorized for the purpose), to exercise its powers including the powers conferred by this resolution to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of Rupee.1/- each for consideration in cash at such price to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to the tune of upto Rs.8,800 crores ((Rupees eight thousand eight hundred crores only) (including premium), on preferential basis to the "**Government of India**."

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant date for determination of the Issue Price shall be the date thirty days prior to the date of the General Meeting in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of Preferential issue shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to any Committee(s) of Directors, the Chairman or any of the Managing Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

(RAJNISH KUMAR)
CHAIRMAN

Date : 09.02.2018

EXPLANATORY STATEMENT

Disclosures as required to be made in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a) Objects of the Preferential Issue:

To enable the Bank to meet CET-1 Capital requirement under Basel-III the Government of India has decided to infuse the amount to the tune of Rs.8,800 crores (Rupees eight thousand eight hundred crores) (including premium) in the capital of the Bank by way of preferential issue of equity shares in favour of the Government of India.

b) Proposal of the promoter to subscribe to the offer:

The entire Preferential Issue of equity shares will be subscribed by the Government of India, the Promoter of the Bank.

c) Shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue:

Sr.No.	Category	Before the issue (As on 02.02.2018)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
i	Promoter's shareholding (Government of India)	488,64,54,904	56.61	**	**
ii	Public shareholding	374,55,98,889	43.39	374,55,98,889	**
iii	Total	863,20,53,793	100.00	**	100.00

** The total number of shares to be allotted to GoI will be calculated on the basis of the issue price to be determined as on the "relevant date" in terms of the pricing formula as prescribed in Regulation 76(1) of the SEBI ICDR Regulations. In terms of the aforesaid Regulation, the issue price shall not be less than the higher of the average of the weekly high and low of the volume weightage average price of the Bank's shares quoted on the stock exchange during the period of twenty six weeks preceding the "relevant date" or of two weeks preceding the "relevant date". The "relevant date" is the date 30 days prior to the date of the General Meeting of the shareholders held to consider the preferential allotment and if such date happens to fall on a Holiday/Weekend, then the preceding date is the reckoned "relevant date". The 'stock exchange' for the above purpose will be any of the recognized stock exchanges in which the equity shares are listed and in which the highest trading volume of the Bank's shares has been recorded during the preceding twenty six weeks prior to the relevant date. The total value of the number of shares so issued (including premium) shall aggregate to not more than Rs.8,800 crores (Rupees eight thousand eight hundred crores). For example, at an assumed Issue Price of **Rs.311.36,** calculated based on an assumed "relevant date", the number of shares held by GoI post preferential allotment would be **516,90,85,942** shares and the total number of shares of the Bank post preferential allotment would be **891,46,84,831** shares and therefore, the percentage of shareholding of GoI post the preferential allotment will be **57.98%.** However, the actual number of shares to be issued and the shareholding pattern thereafter, may increase or decrease based on the actual issue price to be determined on the basis of the actual relevant date.

d) Time within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to this resolution passed by the shareholders, shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing of this resolution, provided that if any approval or permission by any regulatory authority or the Central Government for allotment is pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

e) Identity of the proposed Allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control as a result of the proposed preferential issue.

Identity of the Proposed Allottee	No of equity shares to be allotted	% of post issue shareholding
Govt. of India represented by the President of India (Promoter)	** as per the remarks given at c) above	** as per the remarks given at c) above

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and disclosure under Regulation 73(1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

g) All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India pursuant to the proposed special resolution, shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval granted and the entire pre-preferential allotment shareholding of GoI will be locked in from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

h) The certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the General Meeting on 15/03/2018.

All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Regulations with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

NOTES

(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP:

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms and Attendance Slips are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's Sixteen Local Head Offices, and Bank's websites: www.statebankofindia.com / www.sbi.co.in under the link Corporate Governance/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

(a) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai–400021, Telephone: (022) 2274 0841-0848.

(b) M/s Datamatics Business Solutions Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400093. Telephone: (022) 66712201-03.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 15/03/2018.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 05/03/2018.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 08/03/2018.

(a) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai–400021.

(b) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, "C6", G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

'लक्ष्य' ने 2501 लोगों का रक्त परीक्षण कर बनाया विश्व रेकार्ड

खरगोन (मप्र), 14 फरवरी (भाषा)। खरगोन जिले के भीकनगांव कस्बे में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर युवाओं की एक संस्था ने रक्त परीक्षण और रक्तदान शिविर के मामले में नया विश्व रेकार्ड बनाया है।

मालूम हो कि रक्त परीक्षण के मामले में अब तक अमेरिका के कैलिफोर्निया का छह घंटे में 1460 लोगों द्वारा रक्त परीक्षण का रेकार्ड है, लेकिन भीकनगांव में मात्र 4 घंटे में ही अमेरिका का रेकार्ड वैलेंटाइन डे पर टूट गया और यहां छह घंटे में 2501 लोगों ने रक्त परीक्षण करा कर नया विश्व रेकार्ड बनाया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालयः समलका शाखा, पुरानी दिल्ली गुड़गाँव रोड, समलका, नई दिल्ली–110037

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 19.3.2018 के 4.00 बजे अप. या उससे पूर्व

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के सं. 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्तियों की बिक्री।
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाये तथा नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणधारक द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाए की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी उक्त वाहन बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफार्म द्वारा की जाएगी।

चल संपत्तियों का विवरण

क्रम सं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के स्वामी का नाम	वाहन का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि मांग सूचना तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	समलखा शाखा खाता–श्रीमती गायत्री, पत्नी लक्ष्मण सिंह	श्रीमती गायत्री पत्नी लक्ष्मण सिंह	DL8C AH0903 पंजी. तिथिः 1.5.2014, हाइपोथेकेशनः बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हीकल मैक तथा मॉडलः मारुति सुजुकी रिट्ज **वैरिएन्टः KDI M BS 4**, निर्माण का वर्षः 2013 इंस्युरैन्स पालिस स्वामी क्रम सं. 1 के अनुसार	रु. 4,46,338.00+ अप्रयुक्त ब्याज तिथिः 3.2.2016	225000/– 22500/– 5000/–	20.3.2018 के 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर तक।	12.3.2018 से 17.3.2018 तक कार्यालय अवधि के दौरान पूर्व अनुमति लेकर

नियम एवं शर्तें

1. ई–नीलामी "**जैसा है जहां है**" तथा "**जो कुछ भी वहां है आधार**" पर आयोजित होगी।
2. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–नीलामी प्रक्रिया आदि पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता हो, वे मै. सी 1 इंडिया प्रा. लि., हेल्पलाइन नं. 0124–4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, +91–99813887931, हेल्पलाइन ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com से संपर्क करें तथा सम्पत्ति–संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए श्री अमित कुमार गुंजन, वरि. शाखा प्रबंधक, समलखा शाखा, मोबाईल नं. 8826893572, टेली.: 011–25063231, ई–मेल आईडीः trdgur@bankofbaroda.com से कार्य दिवसों को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क करें।

(विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया देखेंः https://www.bankeauctions.com; एवं/अथवा www.tenders.gov.in)

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत ऋणधारकों तथा गारंटर (एलआर्स) के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना मानी जाए।

दिनांकः 14.2.2018 स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा**

फीनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड

PHOENIX

CIN : L74899DL1987PLC030092

पंजी. कार्यालयः तीसरी मंजिल, गोपाला टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
टेली. (91–11) 2574 7696, 2575, 1934/35/36 फैक्स : (91–11) 2575 1937/38
ई–मेल : narendermakkar@yahoo.com वेबसाइट : www. phoenixindia.com

31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही व नौ माह के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31 दिसंबर 2017 अनंकेक्षित	समाप्त नौ माह 31 दिसंबर 2016 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31 दिसंबर 2017 अनंकेक्षित
1.	प्रचालन से कुल आय	1,103.55	2,905.53	953.23
2.	कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	53.53	140.75	51.04
3.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	41.53	98.75	36.04
4.	कुल समग्र आय (करों का शुद्ध)	–	–	–
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय	41.53	98.75	36.04
6.	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर है	1,678.96	1,678.96	1,678.96
7.	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (शेयर का अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर है			
	ए) बेसिक (रु. में)	0.25	0.59	0.21
	बी) डायल्यूटिड (रु. में)	0.25	0.59	0.21

नोट :

1) उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजस के साथ दायर 31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही व नौ माह के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.phoenixindia.com** पर भी उपलब्ध है।
2) उक्त परिणाम कंपनी के अंकेक्षकों द्वारा ''सीमित समीक्षा'' का विषय थे और अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है व 13 फरवरी 2018 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत हैं।
3) समान पूर्व वर्ष अवधि के लिए आंकड़ों को तुलनात्मक बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनवर्णित/पुनसर्मूहित किया गया है।
4) डेफरड कराधान, यदि कोई है के लिए प्रावधान वर्श के अंत में तैयार किए जाएंगे।

बोर्ड के निर्देशानुसार
फीनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
नरेंद्र कुमार मक्कड़
स्थान : नई दिल्ली **निदेशक व कंपनी सचिव**
दिनांक : 13.02.2018 **डीआईएन : 00026857**

अनंत राज लिमिटेड

Anant Raj Group

(पूर्व में अनंत राज इंटस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से विदित)
CIN:L45400HR1985PLC021622
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. सीपी–1, सेक्टर–8, आईएमटी मानेसर, हरियाणा 122051, टेलीफैक्सः 0124–4265817
प्रधान कार्यालयः एच–65 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, टेली.: 011–43034400, 011–23324127
ई–मेलः manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट : www.anantrajlimited.com

31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही तथा नौ महिने के अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. करोड़ो में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
		31.12.2017 (अनंकेक्षित)	30.09.2017 (अनंकेक्षित)	31.12.2016 (अनंकेक्षित)	31.12.2017 (अनंकेक्षित)	31.12.2016 (अनंकेक्षित)	31.03.2017 (अनंकेक्षित)
1.	परिचालको से कुल आय (शुद्ध)	122.29	118.90	142.11	349.49	353.81	494.60
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं असाधारण मदों से पूर्व)	21.01	15.13	31.33	52.42	76.71	87.56
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ कर से पूर्व (विशिष्ट एवं असाधारण मदों से बाद)	21.01	15.13	31.33	52.42	76.71	87.56
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर विशिष्ट एवं असाधारण मदों से बाद)	16.83	9.89	19.77	38.34	58.12	77.07
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	16.83	9.89	19.77	38.34	58.12	77.26
6.	प्रदत्त इक्विट शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 2/- प्रति)	59.02	59.02	59.02	59.02	59.02	59.02
7.	अनय इक्विट (पुनमूल्यांकन आरक्षितों के आतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-	-	-	4186.89
8.	आय प्रति शेयर (रु 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचाालकों के लिए) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष को छोड़कर वार्षिकीकृत नहीं						
	क) मूल्य ईपीएस (रु.)	0.57	0.34	0.67	1.30	1.97	2.62
	ख) मूल्य ईपीएस (रु.)	0.57	0.34	0.67	1.30	1.97	2.62

टिप्पणीः

1. 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिए उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की 12 फरवरी, 2018 को आयोजित उनकी वैठक में ऑडिट कमिटी द्धारा समीक्षा की गई तथा 14 फरवरी, 2018 को आयोजित उनकी वैठक में निदेशक मंडल द्धारा अभिलेख में किये गये। कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षको ने इस परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
2. इन समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2018 की जाए 133 के अंतर्गत अधिसूचित रुप में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस 34) ''अंतरिय वित्तीय रिपोर्टिंग'' के पहचान तथा मापन सिद्धांतो के अनुसार तैयार किया गया है। उक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी, उसकी सहायकों तथा एमोसिएट्स के परिणामों में उसकी शेयर के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे इंड एएस–110– ''समेकित वित्तीय विवरण'' तथा इंड एएस –28– 'एलोसिएट्स तथा संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अनुसार तैयार किया गया है।
3. 31 दिसम्बर 2017 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिए स्टैन्डलॉन वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसारईट www.anantrajlimited.com पर उपलब्ध है।

मुख्य स्टैंडएलॉन वित्तीय जानकारी इस प्रकार हैः

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
		31.12.2017 (अनंकेक्षित)	30.09.2017 (अनंकेक्षित)	31.12.2016 (अनंकेक्षित)	31.12.2017 (अनंकेक्षित)	31.12.2016 (अनंकेक्षित)	31.03.2017 (अनंकेक्षित)
1.	परिचालको से कुल आय	112.61	104.45	132.03	315.37	320.09	449.39
2.	कर से पूर्व लाभ	17.42	12.40	27.61	45.37	64.52	77.49
3.	कर के बाद शुद्ध लाभ	12.44	8.42	18.16	30.52	43.73	60.24
4.	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	0.19
5.	कुल व्यापक आय	12.44	8.42	18.16	30.52	43.73	60.43

4. उपरोक्त सेवी (सूचीयन दायित्व तथा उद्‍घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैन्जों में दाखिल 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सार है। 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) वित्तीय परिणाम नेशनल स्टॉक एक्सचैन्ज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड एवं की वेबसाईटों (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com एवं कम्पनी की वेबसाईट www.anantrajlimited.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
अनंत राज लिमिटेड के लिए
हस्ता.
(अमित सरीण)
स्थान : नई दिल्ली निदेशक एवं सीईओ
तिथी : 14 फरवरी, 2018 DIN: 00015837

NOTICE

I, Mahabir Prasad Rungta lost my share certificate, bearing Membership No.8587 and ALLOTEMENT- CUM- POSSESSION LETTER dated 15/02/2000 of Plot No.706 of 502 Sq.Yds. in The Saraswati Kunj, Cooperative House Building Society Limited Wazirabad, Gurgaon, Haryana. Founder Kindly send at my residence S-75, Panchsheel Park, New Delhi-110017, contact No. 9311220022.

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 82, अभिनाश मेनशन, प्रथम तल, जोशी रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 (भारत), फोनः +91-11-6465 6800-802, बोर्डः +91-124-3838500, फैक्सः +91-124-3838888 इ-मेलः investors@dhanuka.com, बेवसाइटः www.dhanuka.com,
CIN:L24219DL1985PLC020126

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुपालन में 14 फरवरी, 2018 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 100% (रु. 2/– प्रति के इक्विटी शेयर के लिए रु. 2/–) की दर से अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। उस उद्देश्य से 26 फरवरी, 2018 को अभिलिखित तिथि निर्धारित किया गया है। अंतरिम लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम अभिलिखित तिथि अर्थात 26 फरवरी, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dhanuka.com तथा स्टॉक एक्सचैंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईटों अर्थात www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
ज्योति वर्मा
स्थानः गुरुग्राम **कंपनी सचिव**
तिथिः 14 फरवरी, 2018 **FCS-7210**

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वां तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुंबई-400098,
टेली.: 022-67412314, फैक्सः 022-67412313, CIN: U67190MH2007PTC168303,
ई-मेलः info@phoenixarc.co.in, वेबसाईटः www.phoenixarc.co.in

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 14–10 के ट्रस्टी) (यहां के बाद 'फिनिक्स'' के रूप में वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.10.2017 ऋणधारकों/गारन्टरों को जारी किया जिसका विवरण नीचे तालिका में वर्णित है।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे तथा अतः, एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 14–10 के ट्रस्टी की उसकी हैसियत से कार्य करते हुए फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी को आज, 12 फरवरी, 2018 को प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 14 तथा नियमावली के अंतर्गत दाखिल एमसीए नं. 04/2018 में आदेश तिथि 5 जनवरी, 2018 जिसे बाद में माननीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दक्षिण पूर्व जिला, नई द्वारा द्वारा पारित परवर्ती आदेश तिथि 19 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित किया गया, के अनुपालन में नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा यहां नीचे वर्णित गिरवी रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा सौंप दिया गया है।

ऋणधारक तथा गारंटर का नाम	मांग सूचना	संपत्ति का विवरण
ऋणधारकः फैन्टैसी ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राईवेट लिमिटेड, 208-209, मधुवन बिल्डिंग, 55, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 गारन्टर्सः 1. श्री शैलेन्द्र कुमार 2. सुश्री सोनिया कुमार पुन्न 3. स्व. श्री राजिन्दर कुमार, प्रतिनिधित्व द्वारा उनके सांविधिक प्रतिनिधियों, श्रीमती उमावती (पत्नी), श्री शैलेन्द्र कुमार (पुत्र), श्री श्रीकांत पुन्न (पुत्र), श्रीमती दीप्ति मल्होत्रा (पुत्री)	उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 1 अक्तूबर, 2017 से मासिक रूप से मिश्रित 15.25% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज तथा 1.00% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज के साथ 30 सितम्बर, 2017 को रु. 12,19,57,548/– (रुपए बारह करोड़ उन्नीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ अड़तालिस मात्र।) सूचना तिथिः 3.10.2017	स्व. श्री राजिन्दर कुमार के स्वामित्व की तथा उनके द्वारा गिरवी रखी गई सम्पत्तिः उसके नीचे की भूमि में आनुपातिक अधिकारों के साथ भूमि माप 207 वर्ग यार्ड्स के प्लाट पर निर्मित सम्पत्ति सं. एस–257, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 में छत के अधिकार के साथ सम्पूर्ण प्रथम तल, दूसरा तल।

एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सतर्क करने के लिए सूचित किया जाता है कि फिनिक्स ऊपर वर्णित अचल संपत्तियों का विधि सम्मत भौतिक कब्जा धारक है तथा सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद ऋणधारक अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति फिनिक्स की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस सूचना में वर्णित उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का बिक्री, पट्टा द्वारा अंतरण नहीं कर सकते हैं अथवा उसका किसी भी रूप से व्यवसाय/ स्वत्व परित्याग नहीं कर सकते हैं। तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ ऊपर वर्णित राशि के लिए फीनिक्स के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक/गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली **फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड**
तिथिः 12.2.2018 **फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 14–10 के ट्रस्टी**

SBI

कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन,मादाम कामा रोड, मुंबई - 400 021
(भारतीय स्टेरट बैंक अधिनियम,1955 के अंतर्गत गठित)

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न लिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की साधारण सभा गुरुवार, 15 मार्च, 2018 को प्राप्त 11:00 बजे स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई–400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी :

निम्न लिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उन्हें संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहाँ इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अध्यधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और सेबी (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009, यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन)तथा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमनों के अध्याधीन और उन शेयर बाजारों के साथ,जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध किए गए हैं,किए गए सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अध्यधीन, बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड को (यहाँ इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति, और इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशकों की अन्य कोई समिति सम्मिलित हुई समझी जाएगी), इस संकल्प द्वारा **भारत सरकार** को अधिमान्य आधार पर रुपये 8,800 करोड़ (आठ हजार आठ सौ करोड़ रुपये मात्र) की कुल राशि के लिए (प्रीमियम सहित) प्रति 1/– के नकद मूल्य के ईक्विटी शेयर, ऐसी कीमत पर और ऐसी संख्या में जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने के लिए इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतदद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार,निर्गम मूल्य का निर्धारण करने हेतु प्रासंगिक तिथिसाधारण सभा की तारीख से 30 दिन पूर्व की तिथि होगी"।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि अधिमानी निर्गम के रूप में प्रस्तावित तथा आवंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयर सभी तरह से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप श्रेणी में रहेंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश के लिए पात्र रहेंगे"।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास इस प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार रहेगा जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजारों जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य दूसरे उचित प्राधिकरण द्वारा शेयरों के निर्गम, आवंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृति प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय आवश्यक हो सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं और जिनके लिए बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो"।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के प्रयोजन से, बोर्ड को ऐसी सभी कार्रवाइयाँ और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और ऐसी वस्तुएं, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझी जाती हो, करने के लिए तथा ऐसे किसी मामले, कठिनाई या संदेह का निवारण करने के लिए जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय और उचित हो सकते हों और जो उसके पूर्व विवेकाधिकार में शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के बिना सही, उचित या वांछनीय समझी जा सकती हो/या इस उद्देश्य और इसअभिप्राय से प्राधिकृत करने से इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदन दिया हुआ समझा जाएगा"।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि यहां उल्लिखित बोर्ड को प्रदत्त सभी या कोई अन्य अधिकार, अध्यक्ष या किसी प्रबंध निदेशक या बैंक के किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जिसे उक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझा जा सकता है, प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाए और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है"।

(रजनीश कुमार)
दिनांक : 09.02.2018 **अध्यक्ष**

व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 के अनुसार किए जानेवाले आवश्यक प्रकटीकरण

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य : बेसल–III के अंतर्गत बैंक की सीईटी–1 पूंजी आवश्यक की पूर्ति करने हेतु, भारत सरकार ने भारत सरकार के पक्ष में, ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के द्वारा बैंक की पूंजी में रुपये 8,800 करोड़ (आठ हजार आठ सौ करोड़ रुपये मात्र) (प्रीमियम सहित) तक का निवेश करने का निर्णय लिया है।

ख) निर्गम में अभिदान करने हेतु प्रवर्तक का प्रस्तावः ईक्विटी शेयर के कुल अधिमानी निर्गम में बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार द्वारा संपूर्ण अभिदान किया जाएगा।

ग) अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व (दि. 02.02.2018)		निर्गम के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
i	प्र्वर्तक की शेयरधारिता (भारत सरकार)	488,64,54,904	56.61	**	**
ii	जनता की शेयरधारिता	374,55,98,889	43.39	374,55,98,889	**
iii	योग	863,20,53,793	100.00	**	100.00

** भारत सरकार को आवंटित किए जानेवाले कुल शेयरों की गणना, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) में निर्धारित मूल्ये निर्धारण सूत्र के अनुसार, 'प्रासंगिक तारीख' को निर्धारित किए जानेवाले निर्गम के मूल्य के आधार पर की जाएगी। पूर्वोक्त विनियम 76(1) के अनुसार, निर्गम का मूल्यत,प्रासंगिक तारीख से 26 सप्ताह पूर्व या 'प्रासंगिक तारीख' से 2 सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान शेयर बाजार में, भारतीय स्टेट बैंक के उद्धृत बंदी मूल्य के उच्चा और न्यून साप्ताहिक मूल्य के उच्चतर औसत मूल्य से कम नहीं होगा। 'प्रासंगिक तारीख', अधिमानी आवंटन पर विचार करने हेतु, आयोजित शेयरधारकों की आमसभाकी तिथि से 30 दिन पूर्व की तारीख होती है और यदि यह तारीख अवकाश के दिन/सप्ताह के दिन पड़ती है, तो इससे पहले की तिथि 'प्रासंगिक तारीख' के रूप में गिनी जाएगी। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए 'शेयर बाजार' कोई भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार होगा जिसमें ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं और जिसमें 'प्रासंगिक तारीख' से 26 सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान, बैंक के शेयरों की उच्चतम मात्रा का व्यापार किया गया हो। इस प्रकार निर्गम किए जानेवाले शेयरों का प्रीमियम सहित कुल मूल्य रुपये 8,800 करोड़ (आठ हजार आठ सौ करोड़ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगा। उदाहरणार्थ, कल्पित 'प्रासंगिक तारीख' के आधार पर गणना करने पर रुपये **311.36** के कल्पित निर्गम मूल्य पर, अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या **516,90,85,942** होगी और अधिमानी आबंटन के पश्चात, बैंक के शेयरों की कुल संख्या **891,46,84,831** होगी और इसलिए अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता **57.98%** होगी। तथापि, निर्गम किए जानेवाले शेयरों की वास्तविक संख्या और तत्पश्चात शेयरधारिता का पैटर्न, वास्तविक 'प्रासंगिक तारीख' के आधार पर, निर्धारित किए जानेवाले वास्तविक निर्गम मूल्य के आधार पर घट–बढ़ सकती है।

घ) अधिमानी निर्गम पूरा होने की समय–सीमा :

शेयरधारकों द्वारा पारित इस संकल्पय के अनुसार, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर आवंटन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परंतु यदि किसी विनियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार से कोई अनुमोदन अथवा अनुमतिबकाया हो,तो 15 दिन की इस अवधि की गणना ऐसे आवेदन पर आदेश की तिथि से या अनुमोदन अथवा अनुमति की तिथि से,जैसी भी स्थिति हो, की जाएगी।

ङ) प्रस्तावित आवंटितियों की पहचान, अधिमानी निर्गम के पश्चात उनके द्वारा धारित पूंजी का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो:

चूंकि संपूर्ण निर्गम, बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अत: अधिमानी आधार पर, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या	निर्गम पश्चात शेयरधारिता का %
भारत सरकार जिसका प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) द्वारा किया जाता है।	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार

(च) बैंक के ईक्विटी शेयर छह महीने से भी अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान और सेबी आईसीडीआर के विनियम 73(1) (च) और (छ) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(छ) सेबी आईसीडीआर के विनियमन के अनुसार, प्रस्तावित विशेष संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार को निर्गम और आबंटित किए जाने वाले सभी ईक्विटी शेयर क्रय–विक्रय के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक अवरुद्ध रहेंगे और भारत सरकार की अधिमानी आवंटन–पूर्व शेयरधारिता,क्रय–विक्रय के अनुमोदन की तिथि से छह महीने की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी।

(ज) निर्गम, सेबी आईसीडीआर विनियमन अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है, इस बात को प्रमाणित करने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, **15/03/2018** की साधारण सभा में रखा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर गैर–कागजी स्वरूप में हैं और बैंक उन शेयर बाजारों के सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयर्स की निरंतर सूचीबद्धता संबंधी शर्तों का अनुपालन करता है, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

टिप्पणियां

(i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची:

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे सोलह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय में और बैंक की वेबसाइट : **www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in** पर कॉरपोरेट गवर्नेन्स/शेयरधारक इन्फो लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं:

(ए) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड़, मुंबई– 400021 – टेलीफोन नं. (022)–22740841–0848.

(बी) मेसर्स डाटामेटिक्स बिजनेस्स सोल्युशंस लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी–5, पार्ट–बी, क्रास लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400093, टेलीफोन नं. (022)–66712201–03.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक **15/03/2018** को साधारण सभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहाँ लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, 14वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई– 400021 में **05/03/2018** को या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि:

साधारण सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में **08/03/2018** को या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

(ए) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई– 400021

(बी) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी–6, जी ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.

SBI

कॉर्पोरेट सेन्टर, स्टेट बँक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०० ०२१

(स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, १९५५ अन्वये घटीत)

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची सर्वसाधारण सभा ही खालील व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी गुरुवार, १५ मार्च, २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. स्टेट बँक ऑडिटोरियम, स्टेट बँक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा मार्ग, मुंबई – ४०० ०२१ येथे घेण्यात येणार आहे.

विशेष ठराव म्हणून खालील ठराव सुधारणेसह किंवा शिवाय विचारात घेणे आणि योग्य वाटल्यास मंजूर करण्यासाठी:

ठराव करण्यात येत आहे की, भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण कायदा, १९५५ सोबत वाचले असता भारतीय स्टेट बँक कायदा, १९५५ (येथून पुढे 'कायदा' असे संबोधण्यात येईल) अन्वये, आणि भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), भारत सरकार (जीओआय), स्टॉक एक्सचेंजेस, सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), आणि/किंवा ह्या संदर्भात आवश्यक असलेल्या इतर कोणीही प्राधिकारी, यांची मान्यता, संमती आणि मंजुरीच्या अधीन राहून, आणि/किंवा सदर मंजुरी देताना त्यांनी निर्देशित केलेल्या सदर नियम, अटी, आणि सुधारणांच्या अधीन राहून, आणि बँकेच्या केन्द्रिय संचालक मंडळाने मान्य केल्यानुसार आणि सेबी (भांडवल जारी करणे आणि प्रगटिकरणाच्या आवश्यकता) कायदा, २००९, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, (सेबी आयसीडीआर कायदा) आणि आरबीआय व इतर सर्व संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून, आणि जेथे बँकेच्या इक्विटी समभागांचे/जीडीआरचे लिस्टिंग करण्यात आले आहे अशा स्टॉक एक्सचेंजेस बरोबर करण्यात आलेल्या सेबी (लिस्टिंग संबंधी जबाबदाऱ्या व प्रगटिकरणाच्या आवश्यकता) कायदा, २०१५ (''लिस्टिंग रेग्यूलेशन्स'') च्या अधीन राहून, ह्याद्वारे बँकेच्या केन्द्रिय संचालक मंडळाला (येथून पुढे ''बोर्ड'' असे संबोधण्यात येईल, ज्यामध्ये भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण नियम, १९५५ मधील नियम ४६ सोबत वाचले असता, कायद्यातील कलम ३० अन्वये स्थापन करण्यात आलेली केन्द्रिय बोर्डाची कार्यकारी समिती, आणि/किंवा ह्या संदर्भात अधिकार देण्यात आलेली संचालक मंडळाची इतर समिती, यांचा समावेश असेल), सेबी आयसीडीआर कायदा, नियम ७६(१) नुसार संचालक मंडळाने निश्चित करण्याच्या किंमतीला रोख रकमेच्या मोबदल्यात ''भारत सरकारला'' प्रिफरेन्शिअल पद्धतीने एकुण रू. ८,८०० करोड (रूपये आठ हजार आठशे करोड मात्र) (प्रिमियमसह) इतक्या एकुण रकमेच्या प्रत्येकी रू.१/– मूल्याचे सदर संख्येच्या इक्विटी समभाग तयार करणे, देऊ करणे, जारी करणे आणि त्यांचे वाटपकरण्यासाठी, ह्या ठरावाद्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांसह आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी, ह्याद्वारे बँकेच्या भागधारकांची ह्याद्वारे संमती देण्यात येत आहे.

"पुढे ठराव की, इश्यु मूल्य ठरविण्यासाठी संबंधित तारीख सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्स' अनुसार सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपूर्वी तीस दिवसांची राहील".

"पुढे ठराव की, प्रेफरन्शियल इश्युच्या मार्गाने प्रस्तावित वाटप केलेले इक्विटी शेअर्स हे सर्व संदर्भात बँकेच्या विद्यमान इक्विटी शेअर्ससह रॅंक पारी–पासू राहील आणि अशा घोषणेच्या वेळी अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या सांविधिक मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काही असल्यास घोषित केलेल्या लाभांशासाठी हकदार राहतील".

"पुढे ठराव की, मंडळाला जीओआय/आरबीआय/सेबी/बँकेचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेले स्टॉक एक्स्चेंज किंवा मंडळाने मान्य केल्यानुसार त्याचे इश्यू, वाटप आणि सूचीबद्ध करण्यासाठी त्यांची मान्यता सहमती, परवानगी आणि मंजुरीच्या एकमताच्या वेळी असे अन्यथा योग्य प्राधिकरणाद्वारे आवश्यक असल्यानुसार प्रस्तावातील कोणत्याही सुधारणा स्वीकारण्याचे प्रधिकार आणि हक्क राहतील".

"पुढे ठराव की, वरील बाबी परिणाम देण्यासाठी मंडळाला सदर ठरावाच्या प्राधिकाराद्वारे सर्वस्वी त्यांची सहमती मानण्यात येऊन शेवटी आणि हेतूत: प्राधिकृत किंवा भागधारकांची कोणतीही इतर सहमती किंवा मंजुरी मिळविण्यासाठी आवश्यक अशी सर्व कामे, विलेख, बाबी, गोष्टी, निर्णय घेण्यासाठी आणि इक्विटी शेअर्सच्या संदर्भात निर्माण होणारे कोणतेही प्रश्न, अडचणी किंवा शंकेचे निवारण करण्यासाठी आणि आवश्यक योग्य मानलेल्या सर्वस्वी त्यांच्या निर्देशाने अशी सर्व कार्यवाही करणे आणि असे काम, विलेख, बाबी आणि गोष्टी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात यावे".

"पुढे ठराव की, मंडळाला वरील सदर ठरवाला परिणाम देण्यासाठी योग्य वाटल्यानुसार बँकेच्या असे इतर अधिकारी किंवा कोणीही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा अध्यक्ष, संचालकांच्या कोणत्याही कमिटीला येथे प्रदान केलेले कोणतेही किंवा सर्व अधिकार देण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात यावे".

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

दिनांक : ०९.०२.२०१८

स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र

सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यू ऑफ कॅपिटल ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २००९ नुसार करावयाचे आवश्यक डिस्क्लोझर ठराव १:

ए) **प्रेफरन्शियल इश्यूचा उद्देश :** बेसल–खखख अंतर्गत सीईटी–१ कॅपिटल रिक्वायरमेंट गाठणे बँकेला शक्य होण्यासाठी भारत सरकारने भारत सरकारच्या नावे इक्विटी शेअर्सच्या प्रेफरन्स इश्यूच्या मार्गाने बँकेच्या भांडवलामध्ये रू. ८,८०० करोड (रूपये आठ हजार आठशे करोड मात्र) (प्रीमियम समाविष्ट) पर्यंतची रक्कम गुंतवण्याचे ठरविले आहे.

बी) **प्रस्तावासाठी वर्गणीकृत करण्यासाठी प्रवर्तकांचा प्रस्ताव:** इक्विटी शेअर्सचे संपूर्ण प्रेफरन्शियल इश्यू भारत सरकार, बँकेच्या प्रवर्तकाद्वारे वर्गणीकृत राहतील.

सी) **प्रेफरन्शियल इश्यू जारी करण्याचा आधी आणि नंतर शेअर्सधारणेचा आकृतीबंध खालील प्रमाणे :**

अ.क्र.	श्रेणी	इश्यू पूर्वी (दि. ०२.०२.२०१८)		इश्यूनंतर	
		धारण केलेल्या शेअर्सची संख्या	शेअर होल्डिंगची टक्केवारी	धारण केलेल्या शेअर्सची संख्या	शेअर होल्डिंगची टक्केवारी
i	प्रवर्तकांची शेअर होल्डिंग (भारत सरकार)	४८८,६४,५४,९०४	५६.६१	**	**
ii	पब्लिक शेअर होल्डिंग	३७४,५५,९८,८८९	४३.३९	३७४,५५,९८,८८९	**
iii	एकूण	८६३,२०,५३,७९३	१००.००	**	१००.००

** भारत सरकारला वाटपकरण्याच्या एकुण समभागांची संख्या सेबी आयसीडीआर कायदा, नियम ७६(१) मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या किंमतीच्या सूत्रानुसार ''संबंधित तारखेला'' निश्चित करण्यात आलेल्या इश्यू किंमतीनुसार निश्चित करण्यात येईल. वरील नियमांच्या संदर्भात, इश्यू किंमत ही ''संबंधित तारखेच्या'' अगोदरचे सव्वीस आठवड्यातील किंवा ''संबंधित तारखेच्या'' अगोदरच्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत स्टॉक एक्सचेंजवर बँकेच्या समभागांच्या साप्ताहिक सरासरी उच्च किंवा व्हॉल्युम वेटेज सरासरी किंमतीपैकी कमी किंमतीपेक्षा कमी असता कामा नये. ''संबंधित तारीख'' ही प्रिफरेन्शिअल वाटपाचा वाटपाचा विचार करण्यासाठी भागधारकांच्या होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या तारखेच्या ३० दिवस अगोदर असलेली तारीख असेल आणि सदर तारखेला जर सुटी/साप्ताहिक सुटी असल्यास, अगोदरची तारीख ही ''संबंधित तारीख'' समजण्यात येईल. वरील हेतूसाठी 'स्टॉक एक्सचेंज' म्हणजे कोणतेही मान्यवर स्टॉक एक्सचेंज असेल जेथे इक्विटी समभाग नोंदविण्यात येतात आणि जेथे संबंधित तारखेच्या अगोदर मागील सव्वीस आठवड्यांच्या कालावधीत बँकेच्या समभागांच्या सर्वाधिक ट्रेडिगची नोंद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे जारी करण्यात आलेल्या एकुण समभागांचे एकुण मूल्य (प्रिमियमसह) हे एकुण रू. ८,८०० करोड (रूपये आठ हजार आठशे करोड मात्र) पेक्षा अधिक नसेल. उदाहरणार्थ, गृहित ''संबंधित तारखेला'' हिशोब केल्याप्रमाणे रू. ३११.३६ इतक्या गृहित इश्यू किंमतीला प्रिफरेन्शिअल वाटपानंतर भारत सरकारपाशी असलेल्या समभागांची संख्या, ही ५१६,९०,८५,९४२ समभाग इतकी असेल आणि प्रिफरेन्शिअल वाटपानंतर बँकेच्या एकुण समभागांची संख्या ही ८९१,४६,८४,८३१ इतकी असेल आणि त्यामुळे, प्रिफरेन्शिअल वाटपानंतर भारतसरकारची समभाग धारणेची टक्केवारी ५७.९८% इतकी असेल. परंतु, प्रत्यक्ष जारी करण्याच्या समभागांची संख्या आणि त्यानंतरची समभाग धारणेची पद्धती ह्यात प्रत्यक्ष संबंधित तारखेनुसार निश्चित केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष इश्यू किंमतीनुसार अधिक किंवा कमी होऊ शकते.

डी) **प्रेफरन्स इश्यू पूर्ण होण्याची वेळ :**

भागधारकांनी मंजूर केलेल्या सदर ठरावानुसार वाटप ठराव मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसात पूर्ण करण्यात येईल. मात्र वाटपाकरिता कोणतेही नियामक प्राधिकरण किंवा केंद्र सरकारची मान्यता किंवा परवानगी प्रलंबित नसावी. पंधरा दिवसाचा कालावधी हा आवश्यक असल्यानुसार मान्यता किंवा परवानगीची तारीख किंवा अशा अर्जावरील आदेशाच्या तारखेपासून सुरु होईल.

ई) **प्रस्तावित वाटपाची ओळख, त्यांनी धारण केलेल्या पोस्ट प्रेफरन्शियल इश्यू कॅपिटलची टक्केवारी आणि काही असल्यास नियंत्रण बदल, प्रेफरन्शियल इश्यूसाठी इश्यूअर कॉन्सिक्वेंटमधील बदल :**

संपूर्ण इश्यू प्रेफरन्शियल तत्त्वावर बँकेचे प्रवर्तक, आणि भागधारक, भारत सरकारला वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे, तेथे प्रस्तावित प्रेफरेन्शियल इश्यूमुळे नियंत्रणात कोणताही बदल होणार नाही.

प्रस्तावित वाटपाची ओळख	वाटप करवयाच्या इक्विटी शेअर्सची संख्या	पोस्ट इश्यू शेअर होल्डिंगची %
भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे सादर भारत सरकार (प्रवर्तक)	** वरील (सी) येथे दिलेल्या शेऱ्यानुसार	** वरील (सी) येथे दिलेल्या शेऱ्यानुसार

एफ) बँकेचे इक्विटी शेअर्स सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता सूचीबद्ध आहेत. त्यानुसार सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ७६(३) आणि ७८(५) च्या तरतुदी आणि सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ७३(१) (एफ) आणि (जी) अन्वये डिस्क्लोझर प्रयोज्य नाही.

जी) प्रस्तावित विशेष ठरावाअन्वये भारत सरकारला जारी आणि वाटपकरण्याचे सर्व इक्विटी समभाग हे ट्रेडिंगला मंजुरी दिल्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लॉक्ड इन करण्यात येतील आणि भारत सरकारचे संपूर्ण प्रिफरेन्शिअल वाटप सेबी आयसीडीआर नियमांनुसार ट्रेडिंगच्या मंजुरीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लॉक इन करण्यात येतील.

एच) सांविधिक लेखापरिक्षकांनी जारी केलेल्या प्रमाणपत्रात स्पष्ट केले आहे की, इश्यू सेबी आयसीडीआर रेग्यूलेशनच्या आवश्यतेनुसार करण्यात आहे. ते १५/०३/२०१८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत ठरवण्यात येईल.

भारत सरकारने धारण केलेले सर्व इक्विटी शेअर्स डिमटेरिअलाईज्ड माध्यमात आहेत आणि बँकेचे शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्स्चेंजसह सूचीबद्धता करारामध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार इक्विटी शेअर्सच्या लिस्टिंगच्या अटीचे अनुपालन केले आहे.

टिपा:

i) **प्रतिपत्री प्रपत्र आणि अटेन्डन्स स्लिप:**

बँकेच्या पात्र भागधारकांना सल्ला देण्यात येतो की, प्रतिपत्री प्रपत्र आणि अटेन्डन्स स्लिप बँकेच्या सोळा स्थानिक मुख्यालयातील मुख्य महाव्यवस्थाकाचे सेक्रेटरीएट आणि बँकेची वेबसाइट: www.statebankofindia.com/www.sbi.co.inलिंक कॉर्पोरेटगर्व्हनन्स / शेअर होल्डर्स इन्फो येथे आणि खालील कार्यालयात सुध्दा उपलब्ध आहे.

ए) शेअर आणि बॉण्डस डिपार्टमेंट, १४ वा मजला, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बँक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई–४०००२१, टेलोफोन (०२२) २२७४०८४१–०८४८.

बी) मेसर्स डेटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशन लिमिटेड, प्लाट नंबर बी–५, पार्ट बी क्रॉस लेन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई– ४०० ०९३ टेलिफोन (०२२)६६७१२२०१–०३ अटेन्डन्स स्लिप १५.०३.२०१८ रोजी सभेच्या ठिकाणी सुध्दा उपलब्ध होतील.

यथायोग्य निष्पादित प्रतिपत्री प्रपत्रासह एकत्रित कुळमुखत्यारपत्र किंवा इतर प्राधिकरण (प्रयोज्य तेथे) ज्यांनी सही केले असेल हे ०५.०३.२०१८ रोजी वा बँकेचे शेअर आणि बॉण्ड डिपार्टमेंट, १४ वा मजला, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट सेंटर, मादाम कामा रोड, मुंबई–४०००२१, येथे प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधी:**

भागधारक कंपनी, तिचे प्राधिकृत अधिकारी किंवा सर्वसाधारण सभेत त्याचे प्रतिनिधी काम करणाऱ्या कोणीही व्यक्तीने ०८.०३.२०१८ रोजी वा पूर्वी खालील दोन कार्यालय अशा ठराव मंजूर केलेल्या सभेच्या अधिकाऱ्याद्वारे सत्यप्रत म्हणून प्रमाणित, यथायोग्य प्राधिकृत प्रतिनिधी म्हणून त्याच्या/तिच्या नियुक्तीच्या ठरावाची प्रत जमा करणे आवश्यक आहे.

ए) शेअर ॲण्ड बॉण्डस डिपार्टमेंट १४ वा मजला, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट सेंटर, स्टेट बँक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई–४०००२१.

बी) मुख्य महाव्यवस्थाकांचे सेक्रेटरीएट, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, स्थानिक मुख्यालय सिनर्जी, 'सी ६' जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा, मुंबई–४०००५१.